प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 06.04.2026

#OPERATION CONVICTION

#नारी_सुरक्षा_सम्मान_स्वावलंबन

#MissionShakti5

मिशन शक्ति 5.0 एवं ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 06.04.2026 को निम्न अभियोग में सजा करायी गयी है।

थाना बढपुरा

इटावा पुलिस की सुदृढ़ विवेचना एवं अभियोजन की समन्वित कार्यवाही के परिणामस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बढपुरा, मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी-1 इटावा द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षिप्त विवरणः-

थाना बढपुरा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ बुलेरो गाडी में दुष्कर्म करने के सम्बन्ध मे वादिनी द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना बढपुरा पर दिनाँक 28.01.2021 को **मु0अ0सं0-13/2021 धारा 376 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **व0उ0नि0 श्री बृजेश कुमार** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। सम्पूर्ण प्रकरण में **मिशन शक्ति अभियान** के तहत **पीड़िता को काउंसलिंग, सुरक्षा आश्वासन एवं आवश्यक सहायता** प्रदान करते हुए न्याय दिलाने हेतु पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बढ़पुरा पुलिस टीम, पैरोकार का0 राम सिंह व एडीजीसी श्री अजीत सिंह तोमर द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 06.04.2026 को अन्तर्गत **धारा 376 भादवि में मा0 न्याया0 एडीजे /मा0 न्याया0 एडीजे एफटीसी-1 इटावा द्वारा अभियुक्त शिव सिंह फोजी पुत्र कठोरे सिंह को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया**

सजायाफ्ता अपराधी-

शिव सिंह फोजी पुत्र कठोरे सिंह निवासी गढी मंगद थाना सहसों जनपद इटावा।